रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-221000
CG-DL-E-08082020-221000

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 07, 2020/श्रावण 16, 1942
No. 390] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 07, 2020/SHRAVANA 16, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 495(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार (संशोधन) नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।

2. पौधा किस्म और कृषक अधिकार नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है।) के नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

   महारजिस्ट्रार का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें:—(1) महारजिस्ट्रार भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी के पदीय समतुल्य होगा और उनके वेतन तथा पेंशन, छुट्टी, यात्रा और दैनिक भत्ते सहित अन्य भत्तों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के नियमों द्वारा विनियमित होगा जैसा कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव को अनुज्ञेय है।

   (2) महारजिस्ट्रार ऐसा व्यक्ति होगा जो परीक्षित प्रंबधकार, विधिक या बौद्विक सम्पदा अधिकार या कृषि विकास में अनुभव रखता हो और वह प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति या समामेलन या संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि निम्नलिखित हैः—

   (क) संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति होगा जो—

   (i) आवेदन करते समय अटठ्ावन वर्ष से अधिक का न हो;

(ii) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताए रखता है, अर्थात्:–

(क) पौधा प्रजनन और अनुंवाशिक या पौधा प्रजनन या अनुंवाशिक (पौधा जाति पर) में डाक्टरेट की उपाधि या कृषि या उद्यान कृषि या वनस्पति विज्ञान या वन विज्ञान या पौधा प्रजनन और अनुंवाशिक या पौधा प्रजनन या अनुंवाशिक में विशेषज्ञता के साथ डाक्टरेट की उपाधि; और

(ख) कृषि या उद्यान कृषि या वनस्पति विज्ञान या वन विज्ञान में पौधा प्रजनन और अनुंवाशिक या पौधा प्रजनन या अनुंवाशिक में विशेषज्ञता के साथ स्नानकोत्तर की उपाधि ; और

(ग) कृषि या उद्यान –कृषि या वन विज्ञान या उद्याान –कृषि और वन विज्ञान में स्नातक की उपाधि;

(ख) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए, व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या कानूनी संगठन या स्वायत्त निकाय के ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद के अधीन–

(i) वर्तमान काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) वेतन मैट्रिक्सि में स्तर – 13 (123100–215900 रू) पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा किया हो।

टिप्पण:– प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पॉच वर्ष से अधिक नही होगी।

3. प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नही होगी।

4. महारजिस्ट्रार के पद की अवधि पॉच वर्ष के लिए होगी या 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इसमें से जो भी पहले हो ।

3. उक्त नियम में, नियम 20 के बाद, निम्नलिखित नियम अंत; स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"20 क. विधिक सलाहकार का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें:–

(1) विधिक सलाहकार भारत सरकार के अवर सचिव की श्रेणी के पदीय समतुल्य होगा और उनके वेतन तथा पेंशन, छुट्टी, यात्रा और दैनिक भत्ते सहित अन्य भत्तों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के नियमों द्वारा विनियमित होगा जैसा कि भारत सरकार के अवर सचिव को अनुज्ञेय है।

(2) विधिक सलाहकार, प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त होगा, जो निम्नलिखित हैः–

(क) सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति होगा जो–

(i) आवेदन करते समय 40 वर्ष से अधिक आयु का न हो, और

(ii) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताए रखता हो, अर्थातः–

आवश्यकः

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की उपाधि;

(ख) बार कांउसिल में अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशित किया गया हों;

(ग) कम से कम पॉच वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो और बौद्यिक सम्पदा अधिकार, विधिक दस्तावेजी, प्रारूपण और नोटरीकरण सहित मामलों के हैंडलिंग का अनुभव रखता हो।

वांछनीयः

मान्यताप्राप्त विश्वविद्याालय से विधि में उपाधि के पश्चात् विज्ञान या कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि।

टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए अंतिम तारीख वह होगी जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख हो।

(ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुंसधान संस्थान या कानूनी संगठन या स्वायत निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी–

(i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर–10 (56100–177500 रु.) पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पॉच वर्षो की सेवा किया हो. या

(iii) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर –9 (53100–167800 रु.) पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्षो की सेवा किया हो।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अर्न्तगत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पॉच वर्ष से अधिक नही होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।

[फा सं. 2–1 / 2020–एसडी.वी]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र मे सा.का.नि. सं 738(अ), तारीख 12 सितंबर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें सा.का.नि. सं 843(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2004, सा.का.नि. सं 731(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2008, सा.का.नि. सं 319(अ), तारीख 11 मई,2009, सा.का.नि. सं 783(अ), तारीख 27 अक्टूबर 2009, सा.का.नि. सं 901(अ), तारीख 17 दिसंबर 2009, सा.का.नि. सं 949(अ), तारीख 3 दिंसबर 2010, सा.का.नि. सं 900(अ), तारीख 17 दिसंबर 2012, सा.का.नि. सं 901(अ), तारीख 17 दिसंबर 2012, सा.का.नि. सं 902(अ), 17 दिसंबर 2012, सा.का.नि. सं 115(अ), तारीख 20 फरवरी 2013, सा.का.नि. सं 496(अ), तारीख 15 जून 2015 और सा.का.नि. सं 863(अ), तारीख 20 नवम्बर 2019, द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

G.S.R. 495(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely:-

1. (1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Amendment) Rules, 2020.

   (2) The shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 19, the following rule shall be substituted, namely:-

   "19. Salary, allowances and conditions of service of Registrar-General.- (1) The Registrar-General shall be an official equivalent to the rank of the Joint Secretary to the Government of India and shall be governed by the Central Government rules in respect of his salary and other allowances including pension, leave, travelling and daily allowances as are admissible to the Joint Secretary to the Government of India.

   (2) The Registrar-General shall be a person having proven managerial, legal or intellectual property rights or agricultural development experience, and he shall be appointed by the Authority on deputation/absorption or contract basis, as under:-

   (a) for appointment on contract basis, a person shall-

   (i) be not more than fifty-eight years of age at the time of making application;

   (ii) possess the following educational qualifications, namely:-

   (A) Doctorate degree in Plant Breeding and Genetics or Plant Breeding or Genetics (on plant species) or Doctorate degree in Agriculture or Horticulture or Botany or

Forestry with specialization in plant breeding and genetics or plant breeding or genetics; and

(B) Master' degree in Agriculture or Horticulture or Botany or Forestry with specialization in plant breeding and genetics or plant breeding or genetics; and

(C) Bachelor's degree in Agriculture or Horticulture or Horticulture and Forestry;

(b) for appointment on deputation basis, a person shall be an officer under the Central Government or a State Government or Union territory Administration or a University or statutory organization or an autonomous body under the Central Government or of the Indian Council of Agricultural Research-

(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level- 13 (Rs. 1,23,100- 2,15,900) in the pay matrix:

Note:- Period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

(3) The maximum age-limit for appointment by deputation or on contract basis shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.

(4) The term of office of the Registrar –General shall be for a period of five years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier.".

3. In the said rules, after Rule 20, the following rule shall be inserted, namely:-

"**20A. Salary, allowances and conditions of service of Legal Adviser.-** (1) The Legal Adviser shall be an official equivalent to the rank of the Under Secretary to the Government of India and shall be governed by the Central Government rules in respect of his salary and other allowances including pension, leave, travelling and daily allowances as are admissible to the Under Secretary to the Government of India.

(2) The Legal Advisor shall be appointed by the Authority on direct recruitment failing which by deputation, as under:-

(a) for appointment on direct recruitment, a person shall –

(i) be not more than forty years of age at the time of making application; and

(ii) possess the following educational qualifications, namely:-

Essential:

(A) Bachelor degree in Law from a recognized University or Institute;

(B) enrolled as an Advocate with Bar Council;

(C) practiced as an advocate for atleast five years and having experience of handling cases, including intellectual property rights, legal documentation, drafting and notarization.

Desirable: Bachelor's degree in Science or Agricultural Science followed by a degree in Law from a recognised University.

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications.

(b) for appointment on deputation (including short-term contract), a person shall be an officer under the Central Government or a State Government or Union territory Administration or a University or recognized research institution or statutory organization or an autonomous body or public sector undertaking-

(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix; or

(iii) eight years' service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 (Rs. 53,100- 1,67,800) in the pay matrix.

Note 1: Period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years on the closing date of receipt of application.

[F. No. 2-1/2020-SD.V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 738(E) dated the 12th September, 2003 and subsequently amended vide number G.S.R. 843(E) dated the 30th December, 2004, G.S.R. 731(E), dated the 14th October, 2008, G.S.R. 319(E), dated the 11th May, 2009, G.S.R. 783(E), dated the 27th October, 2009, G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2009, G.S.R. 949(E), dated the 3rd December, 2010, G.S.R. 900(E), dated the 17th December 2012, G.S.R. 901(E), dated the 17th December, 2012, G.S.R. 902(E), dated the 17th December, 2012, G.S.R. 115(E), dated the 20th February, 2013, G.S.R. 496(E), dated the 15th June, 2015 and G.S.R. 863(E), dated the 20th November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 21:01:10 +05'30'